3.4.4/ 2022-23 /SBD/ZO

(9)

12

नई शिक्षा नीति : सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समुदायों की परिप्रेक्ष्य में

डॉ सुभाष भिमराव दोंदे

डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी, पुणे संलग्न, किर्ती कॉलेज (स्वायत्त), दादर (प.)मुंबई

सारांश

नई शिक्षा नीति– 2020 केंद्र सरकार के विशेष अधिकार के तहत संसद में लॉकडाउन के द्वौरान बिना किसी बहस और चर्चा से पारित हुयी है और शिक्षा समवर्ती सूची का विषय होने के बावजूद राज्य सरकारों से बिना बातचीत या सलाह मशवरा के केंद्र सरकारने इस तरह नीति को पारित किया है। शिक्षा पर कुल सार्वजनिक व्यय के मामले में भारत विश्व में 62 वें स्थान पर है; ऐसे में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने पर नीति की प्रतिबद्धता सवाल उठाती है। नीति में स्मार्ट क्लास–रूम और डिजिटल शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया है; जो शहरी और ग्रामीण तथा सामाजिक–आर्थिक रूप से सीमांत वर्गों से आने वाले छात्रों में डिजिटल डिवाइड (विभाजन) को बढ़वा देंगे। कम उम्र के बच्चों के लिए कठिन कौशल को बढ़ावा देने वाली व्यवसायिक शिक्षा का प्रावधान सीमांत समुदायों और गरीब परिवारों के बच्चों को समय से पहले शिक्षा की निम्न गुणवत्ता तक सीमित रखकर बाल–श्रम को बढ़ावा दे सकती है। प्रारंभिक शिक्षा के अत्यधिक निजीकरण एवं वाणिज्यिकीकरण के जरिये सरकार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की संविधानिक गारंटी की जिम्मेदारी से दूर जाती दिख रही है। असमान शिक्षा प्रावधान जीवन में असमान अवसरों में तब्दील हो जायेंगे और आनेवाले समय मे जो एक असमान भारत का निर्माण करेंगे। इस पृष्ठभूमि में प्रस्तुत शोधपत्र नई शिक्षा नीति आर्थिक–सामाजिक दृष्टि से वंचित या पिछड़ों और अल्पसंख्यक समुदायों को और खास कर इन समुदायों में दोहरे उत्पीड़न से लड़ने वाली लड़कियों के शिक्षा की जरूरतों पूरा करने में कितनी कारगर साबित होगी? इन समस्त पैलूओं की प्रकाशित साहित्य के आधार पर एक आलोचनात्मक मीमांसा है।

Principal
D. E. Society's
Kirti M. Doongursee College
of Arts, Science & Commerce
Dadar (W), Mumbai - 28.

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ऐतिहासिक है, जो भारत में शिक्षा के पूरे कैनवास को संबोधित करती है। यह शिक्षा को अधिक मानवतावादी दृष्टि प्रदान करने का वादा करती है, ऐतिहासिक रूप से प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के उपेक्षित चरण को संबोधित करती है, मातृभाषा में शिक्षा अधिक प्रभावशाली होने का समर्थन करती है, नीति विकलांग बच्चों की शिक्षा

को मानवाधिकार मानकों के करीब लाती है और शिक्षकों के करियर पथ से संबंधित लंबे समय से प्रलंबित मुद्दों को संबोधित करना चाहती है। विचार–विमर्श और परिष्कार की डेढ़ दशक की प्रक्रिया का अर्थ है कि इसमें कई सकारात्मक प्रावधान शामिल हैं जो भारत की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करा सकते हैं। भारतीय संविधान ने अपने मूल अधिनियम में शिक्षा को एक राज्य विषय के रूप में परिभाषित किया, जहां राज्य को 1976 से पहले शिक्षा के कानून पर विशेष अधिकार प्राप्त थे। किंतु अनुच्छेद 42 के तहत, 1976 में भारतीय संविधान मे एक संशोधन के तहत शिक्षा एक समंवर्ती सूची का विषय बन गया जिसके कारण राज्य के साथ केंद्र को भी शिक्षा पर कानून बनाने के समान अधिकार प्राप्त हुआ। नई शिक्षा नीति केंद्र सरकार के विशेष अधिकार के तहत राज्य सरकारों से बिना बातचीत या सलाह मशवरा के और संसद में बिना किसी बहस और चर्चा से पारित हुयी है। केंद्र सरकार ने स्वेच्छा या स्वयं–प्रेरणा से संज्ञान लेते हुए लॉकडाउन के दौरान कैबिनेट द्वारा बिना किसी बहस या चर्चा के शिक्षा विधेयक को पारित कर दिया। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की गतिविधियों की प्रवृत्ति भारतीय राज्यों के संविधान द्वारा अपनाए गए संघीय (फेडरल) ढांचे की धज्जियां उड़ाती है। दुर्भाग्य से, शिक्षा प्रणाली में सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समुदायों की परिप्रेक्ष्य में अंतर्निहित गहरी असमानताओं को दूर करने में नीति विफल रही है।

ठोस वित्तीय प्रतिबद्धताओं का अभाव

शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करने की एनईपी की प्रतिबद्धता पहली बार 50 साल पहले कोठारी आयोग द्वारा की गई थी। पिछले वर्ष में, देश शिक्षा पर अपने कुल सकल घरेलू उत्पाद का 3% से कम खर्च करता है और शिक्षा पर कुल सार्वजनिक व्यय में 62 वें स्थान पर है। ऐसे में सवाल उठता है कि यह 3% से कम से 6% कैसे पहुंचेगा? अधिकांश पिछली सरकारों ने सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया था कम खर्च करने के परिणामस्वरूप केवल 13% प्राथमिक विद्यालय शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निर्धारित राष्ट्रीय आधारभूत सुविधा या अवसंरचनात्मक मानदंडों का पालन करते हैं। यदि नीति को लागू किया जाना है, तो विशेष रूप से भारत के शैक्षिक रूप से पिछड़े और अधिकारहीन या हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उच्च हिस्से वाले गरीब राज्यों के लिए महत्वपूर्ण अतिरिक्त केंद्रीय निवेश की आवश्यकता है। यह राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त और नीति संस्थान द्वारा अनुमान लगाया गया है: बिहार के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 10%, झारखंड में 3.2% और ओडिशा में 3%, छत्तीसगढ़ में 1.9% और यूपी में 1.8% प्रतिशत। अनुमान बताते हैं कि देश को निःशुल्क प्रारंभिक स्कूली शिक्षा के लिए सालाना अतिरिक्त 9.82 लाख करोड़ रुपये की जरूरत है। इस तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य शिक्षा के अधिकार को निधि देने के लिए ठोस वित्तीय रोडमैप के बिना शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करने की पांच दशक पुरानी प्रतिबद्धता को पूरा करना है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009– एक ऐतिहासिक कानून जो भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की गारंटी देता है। किंतु एनईपी में कुछ प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसे ठोस प्रावधानों के बावजूद शिक्षा के प्रति बाजार आधारित दृष्टिकोण के जरिये सरकार

की जिम्मेदारी के रूप में शिक्षा से दूर जाना, भारत के सूक्ष्म बदलाव का संकेत देते हैं। जबकि एनईपी शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए प्रतिबद्ध है, यह शिक्षा के अधिकार अधिनियमों के मानदंडों के अनुरूप स्कूल के बुनियादी ढांचे और संसाधन आवंटन को बढ़ाने के लिए सरकारों की विशिष्ट प्रतिबद्धताओं का उल्लेख करने में विफल है।

शिक्षा का निजीकरण एवं वाणिज्यिकीकरण

नीति में 'परोपकारी स्कूलों' और सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहन ने अधिक निजी स्कूलों को खोलने और निजीकरण को बढ़ाने के लिए हरी झंडी दे दी है। यह प्रावधान निजी स्कूलों को बेहतर शिक्षा परिणामों या अधिक न्यायसंगत स्कूल प्रणाली से जोड़ने के पुख्ता सबूत के बिना भारत में स्कूली शिक्षा के और व्यावसायीकरण का जोखिम उठाता है। भारत के सभी पब्लिक स्कूलों के लिए समान वित्त पोषण सुनिश्चित किए बिना और क्षेत्रीय असमानताओं को समाप्त किए बिना भारत विश्व के बेहतरीन शिक्षा प्रणाली की उम्मीद नहीं कर सकता है। स्कूली शिक्षा के निजी प्रदाताओं पर निर्भर रहने से इन असमानताओं को दूर करने में मदद नहीं मिलेगी। भारत को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध होने की जरूरत है कि प्रत्येक सरकारी स्कूल को केंद्रीय विद्यालय के मानदंडों के स्तर पर संसाधन प्रदान किया जाए।

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2018 के अनुसार, ग्रामीण निजी स्कूल के 5वीं कक्षा के 35% छात्र बुनियादी ग्रेड 2 स्तर के परिच्छेद (पैराग्राफ) को नहीं पढ़ सकते हैं। इसी रिपोर्ट के 2019 के संस्करण के आंकड़े यह भी बताते हैं कि निजी स्कूल लड़कों की तुलना में लड़कियों के लिए अधिक दुर्गम बने हुए हैं, 39% लड़कियों के मुकाबले 47.9% लड़के निजी स्कूलों में जाते हैं। निजी स्कूलों द्वारा अपवर्जन, मुनाफाखोरी और भेदभाव को ध्यान में रखते हुए, जो महामारी के दौरान भी जारी थी, एनईपी में निजी स्कूल के लिए कानूनी रूप से लागू व्यापक नियंत्रक और प्रवर्तन (एनफोर्समेंट) ढांचा गायब है। स्कूली शिक्षा के माध्यमिक स्तर पर विकलांग बच्चों का नामांकन प्रारंभिक स्तर पर नामांकित विकलांग बच्चों की कुल संख्या का लगभग आधा है। सार्वभौमिक नामांकन और प्रतिधारण सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रावधान और उपस्थिति की नियमित ट्रैकिंग के माध्यम से स्कूली बच्चों की औपचारिक शिक्षा में वापसी सुनिश्चित करने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से गरीब और अधिकारहीन या हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चों को स्पष्ट रूप से या आंख मूंद के व्यावसायिक शिक्षा में धकेल दिया जाता है, जबकि उच्च जाति और आर्थिक रूप से बेहतर पृष्ठभूमि के बच्चे अकादमिक शिक्षा का विकल्प चुनते हैं। इसके लिए निधीकरण द्वारा संसाधनों में महत्वपूर्ण वृद्धि की आवश्यकता है। नीती में प्रस्तावित 'लिंग समावेशन कोष' वास्तव में अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगा। इसके अनूरूप ऑक्साम इंडिया के सुझाव के अनुसार सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों के सभी बच्चों के परिणामों में सुधार के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण प्रदान करने के लिए एक समान 'सामाजिक समावेश निधि' की भी आवश्यकता है। नीति शिक्षा में न्यायसंगतता (इक्विटी) बढ़ाने के उपाय के रूप में आवासीय विद्यालयों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने का प्रावधान है। इन स्कूलों की निगरानी अवमानक (घटिया) ढंग से की जाती है और वे अक्सर अलगाव (विलगन) में और मुख्यधारा के शासन तंत्र

के बाहर काम करते हैं। इसके अलावा, आवासीय विद्यालयों का विस्तार पड़ोस (मुहल्ले) के विद्यालयों के विस्तार की कीमत पर नहीं होना चाहिए, जो अभिगम (पहुंच) के विस्तार में पहली पसंद बने रहना चाहिए। आवासीय विद्यालयों के विस्तार से वंचित समुदायों के बच्चों पर राज्य की प्रमुख भाषा और रीति–रिवाजों के थोपने का खतरा बढ़ गया है।

वर्तमान नियामक व्यवस्था माता–पिता को निजी स्कूलों द्वारा शोषण से बचाने में असफल रही है इस पृष्ठभूमि में नीति शिक्षा के व्यापारीकरण को एक मुद्दे के रूप में पहचानती है। निजी स्कूलों के सामाजिक लेखा परीक्षण (ऑडिट) की आवश्यकता को चिह्नित करने सहित अधिक प्रभावी विनियमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रणाली बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। दुर्भाग्य से, वर्तमान नियामक शासन की कमजोरियों को स्वीकार करते हुए, यह राज्यों को शिक्षा में निजी/परोपकारी गतिविधि को और प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देश बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह राज्य स्तर पर सार्वजनिक निजी भागीदारी नीतियों को विकसित करता है और एक 'हल्के लेकिन कड़े नियामक' का प्रस्ताव करता है जो माता–पिता को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी वाले क्षेत्र के नियमन के संदर्भ में मानक (दर्जा) को कम करने का जोखिम उठाता है। निजी स्कूलों की निगरानी और निजी प्रदाताओं द्वारा उल्लंघन के मामलों में शिकायत निवारण के लिए मजबूत तंत्र की तत्काल आवश्यकता है। ऑक्सफैम इंडिया के एक अध्ययन में पाया गया कि महामारी के कारण दिखाई nsasoky hl kefgd dfBukÃ d sclot w] nsk Hkj ds40% निजी स्कूलों ने मौजूदा सरकारी आदेशों के सीधे उल्लंघन में अपनी फीस बढ़ा दी।

यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि शिक्षा के प्रावधान में निजी सेवा प्रदाताओं की भागीदारी भेदभाव, असमानता और अलगाव को पैदा या मजबूत नहीं करती है या सभी के लिए मुफ्त गुणवत्ता वाले सार्वजनिक स्कूलों तक पहुंच को कमजोर नहीं करती है। इसके अलावा, निजी सेवा प्रदाताओं को कानून और व्यवहार में पर्याप्त रूप से विनियमित किया जाना चाहिए और सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे पारदर्शी रूप से और पर्याप्त नागरिक भागीदारी के साथ काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग सेंटरों के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश तैयार करने की सिफारिश की है।

असमान शिक्षा प्रावधान

जबकि शिक्षा में नाम के वास्ते न्यायसंगतता (इक्विटी) पर एक अनुच्छेद है, किन्तु भारत के युवा नागरिकों को उनके वर्ग, जाति, पंथ या भौगोलिक स्थिति के निरपेक्ष समान उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्राप्त करने से रोकने वाले संरचनात्मक मुद्दों को संबोधित करने के लिए कोई ठोस रणनीति का सुझाव नहीं दिया गया है। कुछ मामलों में, नीति चीजों को और खराब कर सकती है। व्यावसायिक, गैर–औपचारिक, और दूरस्थ शिक्षा पर नीति का जोर या ओजपूर्ण कथन अपने साथ तृतीयक शिक्षा – और इसलिए उच्च–वेतन वाली नौकरियों – का रास्ता उन लोगों के लिए जो आर्थिक रूप से अपेक्षाकृत बेहतर हैं रखते हुए अधिकारहीन समुदायों और गरीब परिवारों के बच्चों को समय से पहले शिक्षा की निम्न गुणवत्ता में लाने के जोखिम के लिए प्रवृत्त कर सकता है। विश्व स्तर पर, व्यावसायिक शिक्षा को अपनाने के साथ एक बड़ी चुनौती शैक्षणिक और व्यावसायिक डिग्री का असमान मूल्य है। यह स्पष्ट नहीं है कि

इस वर्ग–आधारित अंतर को उन हस्तक्षेपों के माध्यम से कैसे दूर किया जाएगा जो केवल स्कूल प्रणाली में ही स्थापित हैं। जबकि कदम उठाए जा रहे हैं, भारत के मानवाधिकार दायित्वों के अनुरूप सभी के लिए गैर–भेदभावपूर्ण, समान शिक्षा का दृष्टिकोण गायब है। एक और जोखिम यह है कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा वर्तमान में लिंग और जाति–आधारित रूढ़िवादिता (स्टेरियोटाइप) को सुदृढ़ बनाती है। दरअसल, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए व्यावसायिक इंटर्नशिप शुरू करने का विचार बाल श्रम को बढ़ावा देने के करीब आता है, बावजूद इसके कि घोषित नीति स्कूल छोड़ने वालों को रोकने की है। अंत में, भारत के ग्रामीण स्कूलों में बनाए जा रहे 21वीं सदी के कौशल प्रदान करने के लिए 21वीं सदी के बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को महसूस नहीं किया जा सकता है। अंत में, भारत के ग्रामीण स्कूलों में बनाए जा रहे 21वीं सदी के कौशल प्रदान करने के लिए 21वीं सदी के बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को महसूस नहीं किया जा सकता है। दस्तावेज़ विशेष रूप से आदिवासी छात्रों की शिक्षा के प्रति अपने दृष्टिकोण में निराशाजनक है। मातृभाषा शिक्षा पर जोर और नीति में मरती हुई जनजातीय भाषा की मान्यता जनजातीय बहुभाषी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है।

नई शिक्षा नीति में सभी छात्रों के लिए स्मार्ट क्लास रूम और डिजिटल शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया है। ऐसा लगता है कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए स्मार्ट लर्निंग या डिजिटल शिक्षा दूर का सपना है, जहां अच्छी तरह से सुसज्जित भौतिक बुनियादी ढाँचों के साथ–साथ अच्छी तरह से प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी हमेशा उनके लिए एक बाधा है। ग्रामीण और सामाजिक–आर्थिक रूप से सीमांत वर्गों से आने वाले छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा को बढ़वा देना अभी भी एक दुःस्वप्न है। महत्वपूर्ण त्रुटियाँ ऑनलाइन शिक्षण में विधि और पहुंच हैं जैसे कि विशाल डिजिटल दरार; इंटरनेट, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन और लैपटॉप तक असमान पहुंच; शहरी–ग्रामीण दरार, प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी और स्कूल स्तर पर आवश्यक डिजिटल बुनियादी ढांचे की कमी। देश के 55,000 गाँव बिना मोबाइल नेटवर्क कवरेज के हैं। भारत में इंटरनेट की पहुंच पर विश्व बैंक (2018) की एक अन्य रिपोर्ट से पता चलता है कि केवल 34 प्रतिशत भारतीयों की इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच है। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अपवर्जन (exclusion) अधिक है; जबकि शहरी क्षेत्रों में प्रति 100 जनसंख्या पर 68.86 इंटरनेट ग्राहक और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 100 जनसंख्या पर केवल 13.08 इंटरनेट ग्राहक हैं। यह इंटरनेट तक पहुंच की बड़ी दरार और आवश्यक डिजिटल कौशल तक पहुंचने के कम अवसर को दर्शाता है।

नीति में सदियों पुराने भेदभाव और अपवर्जन (बहिष्करण) से उत्पन्न शैक्षिक असमानता और अपवर्जन के व्यापक निर्धारण का अभाव है। शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण के परिणामस्वरूप भारत की शिक्षा प्रणाली वर्गीय आधार पर अलग–अलग हो गई है, जिसमें अमीर निजी स्कूलों में भाग ले रहे हैं और गरीब परिवारों के लोग कम वित्त पोषित सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में जा रहे हैं। लिंग, वर्ग और जाति एक–दूसरे को बढ़ाने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बच्चों के जीवन की शुरुआत घोर असमानता से होती है। अमीर परिवारों की लड़कियों (शीर्ष 20%) को औसतन नौ साल की शिक्षा मिलती है, गरीब परिवारों की लड़कियों (नीचे 20%) कुछ भी शिक्षा नही मिलती. मौजूदा खामियों में सुधार लाने की बजाय नीति पुराना नीति पथ का

अनुसरण या दोहरा रही है।

नीति दस्तावेज़ में मुस्लिम और दलित लड़कियों को सीधे तौर पर संबोधित नहीं किया गया है। यहां, यह बताना महत्वपूर्ण है कि नीति में, नई शब्दावली गढ़ी गई है, यानी 'सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूह (SEDG), जिसमें सभी आरक्षित श्रेणियों को एक साथ जोड़ दिया गया है, और लड़कियों, विपरीतलिंगी (ट्रांसजेंडर) छात्रों, लिए/अनुसूचित जाति (एससी) एवं जनजाति (एसटी) समूहों को शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में योजनाओं के माध्यम से स्कूल खोलने का उल्लेख किया गया है, फिर भी स्कूलों, कॉलेजों और यहां तक घ्कि शिक्षक पदों पर भी आरक्षण पूरी तरह से अनुपस्थित है। लड़कियों, विपरीतलिंगी (ट्रांसजेंडर) छात्रों, लिए योजनाओं के माध्यम से /अनुसूचित जाति (एससी) एवं जनजाति (एसटी) समूहों और शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्कूल खोलने का उल्लेख किया गया है, फिर भी स्कूलों, कॉलेजों और यहां तक घ्कि शिक्षण पदों में भी आरक्षण पूरी तरह से अनुपस्थित है।

साथ ही, इन सभी विभिन्न उपेक्षित, और कमजोर और अधिकारहीन समूहों को एक साथ जोड़ने का विचार सामाजिक–आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अपवर्जन (बहिष्करण) और भेदभाव के विभिन्न संदर्भों के बारे में सीमित समझ को प्रदर्शित करता है जिससे ये समूह अपने दैनिक या रोजमर्रा के जीवन में गुजरते हैं। कुल मिलाकर, एक निर्दिष्ट योजना या हस्तक्षेपों का समुच्चय जो सशक्तिकरण के लिए कठोरता और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है और साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि मुस्लिम और दलित लड़कियों के लिए समावेशी शिक्षा सुलभ हो, इसकी नीति दस्तावेज़ इसकी कमी पाई गई है। ज़िक्र किये गये मुक्तलिफ़ समूहों के मामले में लिंग, जाति और धर्म की जटिलताओं और अंतःप्रतिच्छेदनता को संबोधित नहीं किया, और इसे बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तुत किया गया जैसे कि सब कुछ ठीक चल रहा है और सभी मुद्दों को बुनियादी ढांचे, प्रतिधारण, सह–भागिता, और सामाजिक कल्याण योजनाओं के जरिए सुलझा लिया जाएगा।

अल्पसंख्यक संकेंद्रित क्षेत्रों में मुस्लिम लड़कियों के लिए कोई विशेष योजना, छात्रवृत्ति या स्कूल खोलने के प्रस्ताव नहीं दिए गए हैं। उर्दू को उन भाषाओं के पहलू के तहत भी शामिल नहीं किया गया है जिन्हें पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा। जहां तक मुस्लिम लड़कियों का संबंध है, शैक्षिक प्रगति उन क्षेत्रों में यथोचित रूप से अच्छी है; जहां अल्पसंख्यक संकेंद्रित क्षेत्रों में मुसलमानों के लिये स्कूलों की अभिगम्यता अधिक है। यह विरोधाभासी प्रतीत होता है, क्योंकि शिक्षार्थियों वर्ग के एक महत्वपूर्ण घटक को आसानी से अनदेखा कर दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे राज्य की कल्पना में मुस्लिम समुदाय के शिक्षार्थी गौण या दूसरे दर्जे के हितग्राही हैं। अल्पसंख्यकों का और उपेक्षित समुदायों का स्कूल और उच्च शिक्षा में वैसे ही अपेक्षाकृत कम प्रतिनिधित्व है। इसलिए नीति द्वारा इन सीमांत समुदायों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हस्तक्षेप के महत्व को कृति से लाना चाहिए है।

कम आय, व्यापक गरीबी, सामाजिक मानक जो लड़कियों की शिक्षा को अवरोध करते हैं, लैंगिक असमानता एक ओर और भेदभाव की धारणा, सीमित नौकरी के अवसर और धीमी गति से ऊपर की ओर गतिशीलता ऐसी बाधाएँ हैं जिनका अल्पसंख्यक एवं उपेक्षित लोग एक समुदाय के रूप में अनुभव करते हैं। दलित लड़कियों के संदर्भ में समस्त असमानताओं की पहचान करना महत्वपूर्ण है, जिसका एक रूप वह भेदभाव हो सकता है जिसका सामना वे कक्षा

के भीतर और अपने संबंधित परिवारों में करती हैं। उसके लिए संवादात्मक बातचीत के लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है। अधिकार और भय के ऐसे माहौल में, दलित लड़कियों को ज्यादा नुकसान होगा कि कैसे 'गुलाम की दासी' उनके शिक्षक से सवाल कर सकती है। इस प्रकार, उनके लिए सवाल पूछना लगभग असंभव हो जाता है क्योंकि उन्हें जाति और लिंग दोनों के उत्पीड़न से लड़ना पड़ता है। घ्संक्षिप्त में ऐसा प्रतीत घ्होता है की असमान शिक्षा प्रावधान जीवन में असमान अवसरों में तब्दील हो जायेंगे जो आने वाले समय में एक असमान भारत का निर्माण करेंगे।

उपसंहार

पारिवारिक संपत्ति या जन्म के समय जाति की स्थिति के आधार पर सामाजिक, भौगोलिक और संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने के लिए और अधिक ठोस कार्रवाइयों की आवश्यकता है। सामाजिक समावेशन को एक स्टैंडअलोन गतिविधि मानने के बजाय पाठ्यक्रम और शिक्षक प्रशिक्षण सहित सभी प्रक्रियाओं के लिए एक सामाजिक समावेशन लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए। लड़कियों की सर्वजनीन (यूनिवर्सल) फीस माफी, शिक्षा प्रणाली में नियमित इक्विटी ऑडिट की शुरुआत और भेदभाव की घटनाओं के प्रति शून्य–सहिष्णुता दृष्टिकोण जैसे अधिक अत्याधुनिक उपायों को दृष्टिकोण में शामिल करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत की तीसरी और इस सदी के चतुर्थांश में पहली शिक्षा नीति है। इसकी प्रभावशीलता का आकलन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि यह संविधान के अनुच्छेद 21–A को साकार करने में किस हद तक योगदान देता है, लिंग–भेद, अभिजात वर्ग बनाम गरीब और दलित, आदिवासी जैसे ऐतिहासिक रूप से अधिकारहीन या हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए शिक्षा के बीच की खाई को कैसे बंद करता है। इसके कार्यान्वयन को आरटीई अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन में योगदान देना चाहिए, सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और शिक्षा के बढ़ते व्यावसायीकरण को रोकने के लिए नेतृत्व करना चाहिए।

नीति का कार्यान्वयन के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और राज्य प्रशासन, शिक्षकों और उनके संघटनाओं, माता–पिता और नागरिक समाज के साथ सामाजिक संवाद में सम्मिलित होने की सरकार की क्षमता पर भी निर्भर करेगा। सफल होने के लिए, नीति को भारत के प्रशासकों, शिक्षकों, छात्रों, माता–पिता और बड़े पैमाने पर समुदायों के दिलों और दिमागों को जीतने की जरूरत है जो इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया के माध्यम से समर्थन करेंगे।

ISBN: 978-93-92267-24-6

संदर्भ सूची

• Taneja Aneja (31st Jul 2020), NEP Turns Blind Eye to Deep-Rooted Inequalities In Every Classroom The Quint https://www.thequint.com/amp/story/news/education/new-education-policy-2020-inequalities-in-education-system

• Misra Savvy Soumya and Taneja Aneja (1st Aug 2020) New Education Policy 2020 Oxfamindia.org https://www.oxfamindia.org/press-release/new-education-policy-2020

• Lenka Ajit Kumar (16th Sept; 2020) New Education Policy-2020 What's in the Plate for Marginal Students? Countercurrents.org

• https://countercurrents.org/2020/09/new-education-policy-2020-whats-in-the-plate-for-marginal-students/

• Singh Shivagni (2021) Here's How NEP 2020 Is Failing Muslim And Dalit Girls. Youthkiawaaz.com

• https://www.youthkiawaaz.com/2021/08/a-commentary-on-nep-through-the-lens-of-gender-and-education/am

• Kaushik Arnav (20th Aug 2020) Major drawbacks of NEP 2020 policy 5th Voice https://5thvoice.news/legalnews/ODcxOA==/Major-drawbacks-of-NEP-2020-policy

•गरूड सचिन (16– 31 जानेवारी 2023) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 चा अजेंडा परिवर्तनाचा वाटसरू

INTERNATIONAL UNIVERSITY OF ... PUBLICATION
INDIA

ISBN: 978-93-92267-24-6